

03/11/2020 कमील परावली हादिसा इत परावली से संबधित
मूल प्रकृत डा. पड 51/19 शिक्षा प्रवृत्ति करी
आरि अनन्त धारा आरि रिता मे निर्णय किया
जा चुका है। आता इस प्रकृत मे अन्य कोई कार्यवाही
अपेक्षित नहीं है। आता डा. फकी कार्यवाही इसी साए
पर होप कर डा. पड खारि किया जाता है तथा न्यायलय
द्वारा जारी अस्थायि निषेधाज्ञा नं० 31.12.19 को निरस्त किया
जाता है। परावली मेडल मे कामए होप मूल प्रकृत
परावली के संबधित है।

उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायचिंदनगर